

प्रतिलिपि पत्र संख्या-सम्ब0 886 / सत्तर-6-2014-2(852) / 2014 दिनांक 25जून, 2014 द्वारा अनुसंचित, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसंचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सी०एस०जे०एम०वि०वि० / सम्ब./ 2815 / 2014 दिनांक 30.05.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुके अधीन स्व0 अर्जुन सिंह रानी इन्दिरा सिंह महाविद्यालय, गुरगाँव, जयरामपुर, फतेहपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास एवं अर्थशास्त्र विषयों में तथा विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र 'बी' में इंगित कमियों यथा याचित पाठ्यक्रम के प्रवक्ता विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं है, को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से संबंधित अभिलेख महाविद्यालय से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसंचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुके अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
4. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा।
5. रिट याचिका संख्या-61859 / 2012 में पारित ओदश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या: 522 / सत्तर-2-2013-2(650) / 2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी०एस०जे०एम०वि०वि० / सम्ब० ५५८१ / 2014

दिनांक १४.७.१५

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, स्व0 अर्जुन सिंह रानी इन्दिरा सिंह महाविद्यालय, गुरगाँव, जयरामपुर, फतेहपुर को उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुसार सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन करने हेतु प्रेषित है। याचिका संख्या 61859 / 2012 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत 07 सेक्षण (प्रति सेक्षण 60 छात्र) कुल 420 सीट्स तथा स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के मैथ ग्रुप एवं बायो ग्रुप में दो-दो सेक्षण (प्रति सेक्षण 60 छात्र) कुल मिलाकर 240 सीट्स निर्धारित करते हुए पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त के साथ महाविद्यालय का वेबसाइट, ई-मेल, फोन नं० आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. उपकुलसंचिव (परीक्षा), सी०एस०जे०एम०वि०विश्वविद्यालय, कानपुर।
3. सहायक कुल संचिव (अतिगोपनीय), सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
4. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०विश्वविद्यालय, कानपुर।
5. इंचार्ज, ई०डी०पी०सेन्टर, सी०एस०जे०एम०विश्वविद्यालय, कानपुर।


(सच्यद बकार हुसैन)
कुलसंचिव